



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072026-274442
CG-DL-E-13072026-274442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3646]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3646]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3808(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साईबर फोरेंसिक खण्ड, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, आर.पी.ए. रोड, पानीपेच, नेहरू नगर, जयपुर, राजस्थान – 302016 को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान- फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[फा. सं. एए-14/43/2026-सीएसडी]

श्री कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2026

S.O. 3808(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Cyber Forensic Division, State Forensic Science Laboratory, R.P.A. Road, Panipech, Nehru Nagar, Jaipur, Rajasthan – 302016** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. AA-14/43/2026-CSD]

SHRI KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.